निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1049) पटना वृहस्पतिवार 27 अगस्त 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
24 अगस्त 2026

सं0 IV/छूट–12–21/2026/5338—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, कजरा सोलर पावर परियोजना (लखीसराय) के अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित 1232.055 एकड़ भूमि 33 (तैतीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत–प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

24 अगस्त 2026

सं0 IV/छूट–12–21/2026/5338 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 24th August 2026

No. IV/छूट–12–21/2026 5338—In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the registration fee, chargeable on registration of lease document related to transfer of 1232.055 acres of land for Installation of Kajara Solar Power Project (Lakhisarai) for 33 (Thirty three) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,
Sanjai Kumar,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1049-571+500-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in